राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि / नरेगा / एमआईएस / 56000 / 2014 — जयपुर, दिनांक : 25 NOV 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्ड सत्यापन के संबन्ध में।**
संदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 23.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, **भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों** के क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत **नरेगा सॉफ्ट पर इन्द्राज समस्त जॉबकार्ड**, जिनका विस्तृत विवरण **ग्राम पंचायत स्तर की रिपोर्ट में "जॉबकार्ड सत्यापन (Job card verification)"** के नाम से उपलब्ध है, के अनुरूप **सत्यापन का कार्य** तथा **आधार नम्बर के उपयोग के सहमति पत्र प्राप्त** करने का कार्य, **प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभियान के रूप** में किया जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि इस अभियान में **ग्राम पंचायत पर कार्यरत ग्रामसेवक, कनिष्ठ लिपिक, रोजगार सहायक द्वारा घर–घर जाकर** जॉबकार्ड में वर्णित विवरण की समस्त जानकारी प्राप्त कर इसे **पंचायत समिति स्तर** पर कार्यरत **एम.आई.एस. मैनेजर द्वारा नरेगा सॉफ्ट में अपडेट कराया** जावे।

आदिनांक की स्थिति के अनुसार राज्य में मात्र 39 प्रतिशत जॉबकार्ड का सत्यापन किया गया है (प्रति संलग्न)। जॉबकार्ड सत्यापन के बिना संबन्धित की रोजगार की मांग दर्ज नही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि श्रमिक के खाता संख्या गलत होने के कारण श्रमिक भुगतान की **rejection rate** बहुत ज्यादा है।

इस संबन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि जॉबकार्ड सत्यापन विशेष रूप से श्रमिक के खाता संख्या तथा आधार नम्बर का सत्यापन घर–घर सर्वे के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जावे।

भवदीय

25.11.16

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(देबाशीष पृष्टि)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
6. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस